ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashok Road, New Delhi-110 001

No. 4/2014/SDR-Yol-I

Dated: 26th April, 2014

To

The Chief Electoral Officer of All Sates and UTs

Sub: Filing of false affidavit in Form-26 reg.

Sir/Madam,

You are aware that the format of affidavit in Form-26 appended to the Conduct of Elections Rules, 1961, was amended with effect from 1/8/2012. Now the candidates are required to make declarations about assets and liabilities including that of spouse and dependents, candidate's criminal antecedents and educational qualifications, in the affidavit in Form 26. The affidavit in Form 26 is provided under section 33A and any false declaration or concealing of information in the affidavit in Form 26 will attract the provisions of section 125A. Under the said Section 125A, furnishing of any false information or concealing of information in the affidavit in Form 26 is an electoral offence punishable with imprisonment upto six months, or with fine, or both.

- 2. Prior to the amendment to Form 26 in August 2012, the affidavit regarding declaration about assets, liabilities, criminal antecedents and educational qualification was given in the format prescribed by the Commission. In the case of complaints about false statement in the said affidavit, the Commission, vide its circular letter No.3/ER/2004, dated 2/6/2004, had clarified that if complaints were filed before the Returning Officer raising the issue of false declaration in the affidavit and if the RO was prima facie satisfied about the merits of the complaint, then the RO was to file a complaint before the competent Court under Section 177 of IPC read with Section 195 of Cr. P.C.
- 3. Now that the affidavit is in Form 26 under section 33A of the R.P. Act, 1951, making false declaration/concealing of information in the affidavit would be covered under Section 125A of the Act. Under Section 125A, there is no stipulation that complaints under that section have to be made by the public servant concerned (in this case the R.O.). Therefore, it would be open to any aggrieved person to move petition before the appropriate Court of competent

jurisdiction with petition for action under Section 125A in the case of any false declaration or concealing of information in the affidavit in Form 26.

- 4. Therefore, it will be no longer necessary under the Cr.PC for the Returning Officer to move the competent court in relation to any complaint about a false affidavit. The complainant himself can be the complainant before the court as well.
- 5. The above instructions may be brought to the notice of all DEOs and ROs for elections to both the Houses of Parliament and State Legislature for their guidance so that in the event of complaints about false statements in the affidavit in Form 26, the complainant can be informed that it would be open for him to move the appropriate court of law for action under Section 125 A of the RP Act 1951.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(K.F. Wilfred) Principal Secretary

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 4/2014/एस डी आर - खण्ड - [

दिनांक : 28 अप्रैल, 2014

सेवा में,

सभी राज्यों और संध शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वादन अधिकारी।

विषय : फार्म-26 में असत्य शपथ-पत्र दाखिल करना : तरसंबंधी।

महोदय / महोदय

आप यह जानते हैं कि निर्वायनों का रांवालन नियम, 1961, रो संलग्न फार्म-26 में शपथ-पत्र का प्रारूप दिनांक 1.8.2012 से संशोधित किया गया था। अब अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे फार्म 26 में शपथ-पत्र में अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों राहित परिसम्पत्तियों और देयताओं, अभ्यर्थियों के आपराधिक पूर्ववृत्त एवं शैक्षिक धोग्यताओं की घोषणा करें। फार्म 26 में शपथ-पत्र, धारा 33क के अंतर्गत उपबन्धित है और फार्म-26 में शपथ पत्र में किसी भी प्रकार की असत्य घोषणा करने या सूचना छिपाने पर धारा 125क के प्रावधान लागू होंगे। उक्त धारा 125क के अधीन, फार्म-26 में शपथ-पत्र में किसी भी प्रकार की असत्य सूचना प्रस्तुत करना या सूचना छिपाना एक निर्वाचन अपराध है जो छः महीने तक की कैंद्र, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय है।

- 2. अगस्त-2012 में फार्न-26 में संशोधन करने से पूर्व, परिसम्पित्तयों, देयताओं, आपर धिळ पूर्ववृत्तों और शिक्षक योग्यताओं के बारे में की जाने वाली घोषणा का शपथ-पत्र आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिया जाता था। उक्त शपथ-पत्र में असत्य कथन से संबंधित शिकायतों के मामले में आयोग ने विनाक 2.6.2004 के अपने परिनत्र संख्या 3/ई आर/2004 के अहत यह स्पष्ट किया था कि यदि रिटर्निंग आफिसर के समक्ष शपथ-पत्र में असत्य घोषणा के मुद्दे को उत्तते हुए शिकायतें दर्ज कराई गई हैं और यदि रिटर्निंग आफिसर प्रथम-दृष्ट्या शिकायत की सत्यता से संतुष्ट हो गए हैं, तो रिटर्निंग आफिसर द्वारा आपसिक प्रक्रिया संहिता की धारा 195 के साथ पठित भारतीय वंड संहिता की धारा 177 के तहत सक्षम न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई जानी होती थी।
- 3. अब, यह शपथ- पत्र लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33क के एडट फार्ग- 26 में होने के कारण शपथ-पत्र में असत्य घोषणा करना / सूचना को कियाना उवत अधिनियम की धारा 125क के तहत आएगा। धारा 125क के तहत ऐसा कहीं भी अनुबंधित नहीं है कि इस धारा के वहत आमें वाली शिकायतों को संबंधित लोक सेवळ (इस मामले में रिटर्निंग आफिसर) द्वारा ही दर्ज कराया जाएगा। अतः, कार्म-26 में शपथ-पत्र में कोई असत्य घेषणा करने या सूचना छिपाने के बारे में अब कोई भी पीडित व्यक्ति सक्षम क्षेत्राधिकार वाल उपयुक्त न्यायकार में धारा 125क के तहत कार्रवाई करने का अनुरोध करने वेतु याविका द्वारा कर सकेगा।

- 4. अतः आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत रिटर्निंग आफिसर को असत्य शपथ पत्र के बारे में किसी शिकायत के संबंध में सक्षम न्यायालय में जाने की अब कोई आवश्यकता नहीं होगी। न्यायालय के समक्ष शिकायतकर्ता स्वयं शिकायत दायर कर सकता है।
- 5. उपर्युक्त अनुदेशों को संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानमण्डलों के निर्वाचन हेतु मार्ग—दर्शन के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं रिटर्निंग आफिसरों के ध्यान में लाया जाए तािक फार्म—26 में शपथ—पत्र में असत्य कथन के बारे में शिकायतें किए जाने पर शिकायतकर्ता को यह सूचित किया जा सके कि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125क के तहत कार्रवाई करने हेतु उपयुक्त न्यायालय में जा सकता है।

कृपया इसकी पावती भेजें ।

भवदीय,

(के. एफ. विल्फ्रेड) प्रधान सचिव